

जोधपुर

विद्युत वितरण

निगम लि०

क्रमांक: जोधपुर डिस्कॉम/अनु-वाणिज्य/पत्रा० 4/प्रे. 115

दिनांक 06-01-2001

परिपत्र

विषय:- अकाल की स्थिति के कारण कृषि कनेक्शन हेतु हरा चारा योजना ।

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक अप्रनि/जोधपुर डिस्कॉम/पत्रा० /आ०सं० 75/प्रे०सं० 1234 दिनांक 5-12-2000 के द्वारा अकाल की स्थिति को देखते हुए कृषि कनेक्शन हेतु घास/चारा पैदा करने के लिये हरा चारा योजना पुनः लागु करने का निर्णय लिया गया था ।

कृषि की विभिन्न श्रेणियों में बकाया कनेक्शनों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि विभिन्न श्रेणी के जिन कृषि आवेदकों ने आवेदन के साथ रु० 12,000/- या आवेदन राशि रुपये 12000/- एवं डिमाण्ड नोटिस के पैसे जमा करा दिये हैं एवं कुछ कारणों से कनेक्शन नहीं दिये जा सके, यदि ऐसे आवेदन कर्ता चाहे तो हरा चारा योजना में प्राथमिकता से कनेक्शन दिया जा सकता है । यह भी निर्णय लिया गया है कि हरा चारा योजना के नये आवेदन अभी नहीं लिये जावेंगे । पहले बकाया उपरोक्त कृषि कनेक्शन ही दिये जायेंगे ।

आज्ञा से

(एन०सी०पुरोहित)

अधिशाषी अभियन्ता (वाणिज्य)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को वास्ते सूचनार्थ प्रेषित है :-

- 1- सचिव, ऊर्जा विभाग, जयपुर
- 2- संभागीय मुख्य अभियन्ता (पवस) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर ।
- 3- मुख्य लेखाधिकारी, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर ।
- 4- अधीक्षण अभियन्ता(शहर/जिला/पवस वृत्त)जोधपुर डिस्कॉम,जोधपुर/पाली/बाड़मेर/बीकानेर/हनुमानगढ़/श्रीगंगानगर/चुरु को प्रेषित कर लेख है कि वे अपने अधिनस्थ कार्यरत सभी अधिशाषी/सहायक अभियन्ताओं को उपरोक्त आदेश की प्रतिलिपि अपने स्तर पर प्रेषित करावें ।
- 5- वरिष्ठ लेखाधिकारी (पवस) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर ।
- 6- उप अधीक्षक पुलिस (सुरक्षा एवं सतर्कता) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
- 7- अधिशाषी अभियन्ता(विधि प्रकोष्ठ/सतर्कता) जोधपुर डिस्कॉम, -----
- 8- लेखाधिकारी (आ०अं०-राजस्व/व्यय) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर ।
- 9- निजी सचिव माननीय ऊर्जा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर को माननीय ऊर्जा मंत्री के सूचनार्थ ।
- 10- प्रावै०सहा० अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।

(एन०सी०पुरोहित)

अधिशाषी अभियन्ता (वाणिज्य)